

समाहरणालय, मधेपुरा

(जिला स्थापना शाखा)


—आदेश—

सरकार के अपर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-29 (बजट), दिनांक-09.09.2015 के आलोक में मुख्य शीर्ष-3456 सिविल पूर्ति उप मुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष 001 निदेशन तथा प्रशासन उप शीर्ष 0002 मॉग सं०-18, जिला प्रभार विपत्र कोड-N-3456000010002 गैर योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष- 2015-16 में व्यय हेतु वेतनादि एवं अन्य मदों में द्वितीयक आवंटन प्राप्त हुआ है, जिसे निम्न प्रकार उपावटित किया जाता है:-

क्र०	ईकाइ/कुट सं०	जिला स्थापना उप समा०, मधेपुरा	जिला नजारत उप समा०, मधेपुरा	अनुमंडल पदा०, मधेपुरा	कुल योग
		DDO Code- REV 012	DDO Code- DIS 002	DDO Code - HOM 006	
01	02	03	04	05	06
1.	वेतन 0101	500000	0	300000	800000
2	जी०या० भत्ता 0103	700000	0	300000	1000000
3	आवास भत्ता 0104	100000	0	100000	200000
4	चिकि० भत्ता 0106	6000	0	4000	10000
5	अन्य भत्ता 0107	0	0	0	0
	कुल	1306000	0	704000	2010000
6	कार्या० व्यय 1301	0	10000	0	10000
7	वाहन का ईंधन एवं रख रखाव 1302	0	30000	0	30000
8	यात्रा व्यय 1101	5000	0	0	5000
	कुल योग-	1311000	40000	704000	2055000

(मो०- बीस लाख पचपन हजार रुपये मात्र)


- संबंधित आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-2561, दिनांक-17.04.1998 एवं पत्रांक-396/वि०, दिनांक-24.04.2015 एवं पत्रांक-3429/वि०,(2) दिनांक- 01.04.2015 के आलोक में किया जाता है।
- उपर्युक्त उपावटित राशि मुख्य शीर्ष-3456 सिविल पूर्ति उप मुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष 001 निदेशन तथा प्रशासन उप शीर्ष 0002 मॉग सं०-18, जिला प्रभार विपत्र कोड-N-3456000010002 गैर योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष- 2015-16 में विकलनीय होगा।
- संगत वित्तीय प्रावधानों के अंतर्गत उपावटित राशि का नियमानुकूल व्यय संबंधित उपावंटन प्राप्त करने वाले पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
- इस आवंटन से स्वीकृत बल के अधीन में कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मचारियों का ही भुगतान किया जाएगा।
- 2801 व्यवसायिक एवं विशेष सेवा की राशि से संविदा आधारित कर्मियों को ही मानदेय का भुगतान किया जाना है।
- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस आवंटन से न्यायिक मामलों से संबंधित वादों एवं सेवानिवृत्त पदाधिकारी/कर्मचारी के बकाया वेतनादि का भुगतान कर देंगे ताकि वेसे मामलों न्यायालय वाद का सामना नहीं करना पड़े।
- उपावटित राशि का विचलन कर अन्य मदों में कदापि व्यय नहीं किया जाय।
- इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाए।


जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक-743-2/स्था०, मधेपुरा, दिनांक-3.10.2015

प्रतिलिपि:- जिला नजारत उप समाहर्ता, मधेपुरा/जिला स्थापना उप समाहर्ता, मधेपुरा/अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा एवं कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को वेब साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


जिलाधिकारी,
मधेपुरा।